

ग्राम पंचायत- दाडो देवरिया, विकास खण्ड-पच्छाद, जिला-सिरमौर, हिमाचल
प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत-दाडो देवरिया, विकास खण्ड-पच्छाद, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव:-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री तारा चन्द	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री राजेन्द्र सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक:-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री परविन्द्र सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत-दाडो देवरिया, विकास खण्ड-पच्छाद, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	पैरा सं.	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बही व बैंक शेष में अन्तर	3.83
2	4.5	रोकड़ बही का संधारण ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) पोर्टल पर न करना	1.10
3	6.3	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	34.66
4	7.1	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.60
5	8.1	समायोजन प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	3.05
6	8.2	निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना किया गया अनियमित व्यय	0.69
7	9.1	मनरेगा कार्यों में अनियमित भुगतान	4.28
8	9.2	रॉयल्टी की कटौती न करना	0.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत-दाडो देवरिया, विकास खण्ड-पच्छाद, जिला-सिरमौर, का यह प्रथम अंकेक्षण है।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत-दाडो देवरिया, विकास खण्ड-पच्छाद, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरुण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20/07/2024 से 26/07/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वर्ष	आय	व्यय
2022-23	08/2022	07/2022
2023-24	03/2024	07/2023

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा

अंकेंक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेंक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।”

3 अंकेंक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत-दाडो देवरिया, विकास खण्ड-पच्छाद, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का अंकेंक्षण शुल्क ₹4800 आंका गया। उक्त अंकेंक्षण शुल्क की राशि को अंकेंक्षण झापन सं0 50 दिनांक 26/07/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कस्मुपटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपेक्षित कार्यवाई उपरान्त अंकेंक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

4 वित्तीय स्थिति:-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत दाडो देवरिया द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर भी दिया गया है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2022-23	4687000.7	4975356.88	133332	9795689.58	5009115.27	4786574.31
2023-24	4786574.31	3150093.25	142088	8078755.56	3646586.83	4432168.73
दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष परिशिष्ट-3						4507829.91
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर (₹4432168.73-₹4507829.91) परिशिष्ट-3						75661.18

4.2 ₹3.83 लाख के अन्तर बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखाओं के अंकेंक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार ₹382928.18 के अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गईं जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता:-

क्र०सं०	योजना का नाम	अन्तर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि/स्व: स्रोत व 5वां राज्य वित्त आयोग (5 th SFC) (बैंक में अधिक जमा)	(-)190770.18
2	13 वां वित्त आयोग (13 th FC)	182184
3	SDP/CRF/MMGPY/NRHM/LDP/VKVN (बैंक में कम जमा)	473
4	मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) (बैंक में कम जमा)	8315
5	4 राज्य वित्त आयोग (4SFC) (बैंक अन्तःशेष प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया)	1186
योग		382928.18

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 22 दिनांक 24/06/2024 व 30 दिनांक 28/06/2024 के प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 ₹1.69 लाख के अन्तर की बैंक समाधान विवरणी बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31/03/2024 को परिशिष्ट-3 में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों के कुल अन्तर में से केवल निम्न वर्णित ₹169353 के अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ ही प्रस्तुत की गई जिनका विवरण परिशिष्ट- 4 व 5 पर दिया गया है :-

क्र०सं०	निधि/योजना का नाम	अन्तर की राशि (₹)
1	14वां वित्त आयोग	120
2	15वां वित्त आयोग	122608
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	20807
4	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	25818
योग		169353

उपरोक्त अन्तर के सन्दर्भ में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनके सम्बन्ध में उचित समाधान करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए:-

(क) रोकड़ बही में ₹0.65 लाख के व्यय का लेखांकन न करना:-

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बैंक अनुसार निम्न ₹64893 के भुगतानों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया। अतः व्यय को रोकड़ बही में दर्ज न करने के कारणों बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भुगतानों को रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	योजना	विवरण	राशि (₹)
1	राजीव आवास योजना/इंदरा आवास योजना (RAY/AAV)	दिनांक 31/07/2020 को श्री रत्नी देवी को किया गया भुगतान जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	40000
2	राजीव आवास योजना/इंदरा आवास योजना (RAY/AAV)	दिनांक 17/06/2021 को श्री लज्जा देवी को किया गया भुगतान जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	2500
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	दिनांक 24/02/2020 को एस0टी सन्स को किया गया भुगतान जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	14000
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	दिनांक 25/02/2020 को सूद एन्टरप्राइस को किया गया भुगतान जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	2010
5	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	दिनांक 23/06/20 को किया गया भुगतान जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	3714
6	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	दिनांक 23/06/20 को किया गया भुगतान जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	2669
		कुल	64893

(ख) रोकड़ बही में ₹0.18 लाख प्राप्त ब्याज का लेखांकन न करना :-

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बैंक अनुसार निम्न ₹18388 की प्राप्तियाँ रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई थी। अतः ब्याज प्राप्तियों को रोकड़ बही में दर्ज न करने के कारणों बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा प्राप्तियों को रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	योजना	विवरण	राशि (₹)
		ब्याज प्राप्तियां जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई	
1	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 30/09/20	2591
2	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 31/03/21	2005
3	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 01/10/21	2023
4	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 01/04/22	2028
5	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 30/09/22	2069
6	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 01/04/23	1950
7	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 30/06/23	988
8	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 01/10/23	1006
9	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 31/12/23	1013
10	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	दिनांक 31/03/24	1009
11	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	दिनांक 01/04/19	713
12	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	दिनांक 01/10/19	432
13	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	दिनांक 31/03/20	376
14	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	दिनांक 30/09/20	65
15	14 वां वित्त आयोग (14 th FC)	दिनांक 31/03/24	120
		कुल	18388

4.5 ₹11.04 लाख की राशि से सम्बन्धित रोकड़ बही का संधारण न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव प्रारूप-14 के अनुसार एक रोकड़ बही कर संधारण करेगा। रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ लेन-देन की तिथि पर आय और व्यय के प्रत्येक मद के

साथ-साथ की जाएँगी, जिसे प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विशेष सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्या: पी0सी0एच0-एच0सी0 (10)/2016-5072-95, दिनांक 24.01.2018 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर प्रियासॉफ्ट में रोकड़ बही का रख-रखाव/अद्यतन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट-6 अनुसार निम्न योजनाओं से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का संधारण नहीं किया गया था जिन से सम्बन्धित खाते में दिनांक 31/03/2024 को ₹1104843 की राशि शेष थी।

क्र0सं0	योजना	बैंक	खाता सं0	बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्तशेष (₹)
1	BMC ग्राम पंचायत दाडो देवरिया	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010108729	11696
2	VWSC कमेटी	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010109625	533
3	जलगाम विकास समिति	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010102445	878255
4	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010107465	214359
		कुल		1104843

इस बारे सचिव से अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 49 दिनांक 26/07/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि हि0प्र0 पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अविलम्ब e-Gram Swaraj software में लेखों को तैयार व अद्यतन (Update) किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

4.6 बंद योजनाओं में ₹2.04 लाख की शेष राशि का समाधान न करना:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित रोकड़ बहियों अनुसार दिनांक 31.3.2024 को ₹204177 की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजनाएं आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं से सम्बन्धित बैंक खाते भी

अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इन योजनाओं की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को अन्तशेष (₹)	योजना की अवधि
1	13 वां वित्त आयोग (13th FC)	182184	2015-16 से 2020-21
2	4 राज्य वित्त आयोग (4SFC)	1186	26 मई 2005 से 2 नवम्बर 2007
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	20807	2006-07 से 2014-15
	कुल	204177	

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 49 दिनांक 26/07/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट-3** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्रोत खातों में दिनांक 31.03.2024 को ₹ **966230.80** की राशि शेष थी परन्तु सावधिक जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

6.1 प्राप्त सहायता अनुदान ₹31.81 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार ₹ **3180880** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी

परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल राशि (₹)
1	15 वां वित्त आयोग (15 th FC)	1296932	218565	1515497
2	कौलामिटी रीलिफ प्रोग्राम (CRF)	19563	0	19563
3	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	361000	0	361000
4	मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	60000	0	60000
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	100000	304330	404330
6	5 वां वित्त आयोग (5 th SFC)	194987	369503	564490
7	सेक्टरल डीसेन्ट्रलाइज प्लानिंग (SDP)	60000	196000	256000
	कुल	2092482	1088398	3180880

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 49 दिनांक 26/07/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.2 अनुदान से ₹44.94 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार ₹4494182.53 की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है :-

क्रम	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान से व्यय राशि (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान से व्यय राशि (₹)	कुल राशि (₹)
1	14 वां वित्त आयोग (14 th FC)	1248882	0	1248882
2	15 वां वित्त आयोग (15 th FC)	209196.25	303886	513082.25
3	कौलामिटी रीलिफ प्रोग्राम (CRF)	49753	0	49753

4	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	360072	0	360072
5	मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	206452	45986	252438
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	106347	464340	570687
7	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	176424	0	176424
8	5 वां वित्त आयोग (5 th SFC)	233001.4	759962.88	992964.28
9	सेक्टरल डीसेन्ट्रलाईज प्लानिंग (SDP)	178862	151018	329880
	कुल	2768989.65	1725192.88	4494182.53

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्यायना संख्या: 49 दिनांक 26/07/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान राशि ₹34.66 लाख उपयोग हेतु शेष

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को ₹3465937.93 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:-

क्रम	योजना	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)
1	13 वां वित्त आयोग (13 th FC)	182184
2	15 वां वित्त आयोग (15 th FC)	2417721.75
3	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	171430
4	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	4359

5	मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	34794
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	173752
7	4 वित्त आयोग (4 SFC)	1186
8	5 वां वित्त आयोग (5 th SFC)	253854.18
9	सेक्टरल डीसेन्ट्रलाइज प्लानिंग (SDP)	163951
10	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	20807
11	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	10000
12	स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP)	31899
	कुल	3465937.93

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 49 दिनांक 26/07/2024 का अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्रोत

7.1 गृहकर राजस्व ₹0.60 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व परिशिष्ट- 7 के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत की गृहकर राजस्व राशि ₹59800 वसूली हेतु शेष थी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 49 दिनांक 26/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 एक ही क्रमांक संख्या की 4 रसीद बुकें प्रयोग में लाना तथा रसीद बहियों का भण्डार अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद क्रमांक (1 से 100) की रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी। जिससे प्राप्त राशियों के

दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 22 दिनांक 24/06/2024 के प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। चूंकि ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती है इसलिए यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

8 व्यय

8.1 ₹3.05 लाख की समायोजन प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 (1) में पंचायत द्वारा भुगतान करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 वाउचर संख्या 5THSFC/2023-24/P/22 द्वारा 5 वां वित्त आयोग में ₹305247.78 समायोजन प्रविष्टि की गई थी। परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं०: 49 दिनांक 26/07/2024 द्वारा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ छानबीन उपरान्त उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8.2 निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.69 लाख का अनियमित व्यय :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं जिसमें ₹1000 से अधिक के क्रय हेतु निविदाएं तथा ₹50000 से अधिक के लिए टेंडर आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में वर्णित सूचना अनुसार ₹68754 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है क्योंकि क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित प्रयोग नहीं किया गया।

क्रम	योजना	वाउचर संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर (₹)	जी०एस०टी दर (%)	भुगतान राशि (₹)
1	15 वां वित्त आयोग	XVfV/2022-23/P/6 03-03-23	R/o L/R Batahan to Kataron	103	27-12-2022	Ram Dayal Transporter & Construction Company	JCB Work	39.5 Hrs	850	18	39619
2	15 वां वित्त आयोग	XVfV/2022-23/P/7 03-03-23	R/o L/R Main Road Daro se	104	04-01-2023	Ram Dayal Transporter &	JCB Work	19.5 Hrs	850	18	19559

			Khaldana Ward No. 4			Construction Company					
3	14 वां वित्त आयोग	FFC/2022-23/P/19 27-03-23	C/o S. Dewathi to Anji	26583	Mar-23	TSM Enterprises	MS Pipe	134.8 K.G	60.2	18	9576
										कुल	68754

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं०: 49 दिनांक 26/07/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

8.3 स्वः स्रोत से प्राप्त ₹0.17 लाख आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार पंचायत को सभी प्राप्तियों को खाते में जमा तथा सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान अवधि 04/2022 से 03/2024 की रोकड बही के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्रोत निधि से निम्न तालिका अनुसार प्राप्त ₹17067 आय को बैंक में जमा करवाये बिना ही व्यय किया गया था जोकि अनियमितता है :-

क्र० सं०	दिनांक	वाउचर संख्या	विवरण	राशि (₹)
1	27-04-2022	OWN/2022-23/P/2	बिजली बिल पंचायत घर	540
2	13-05-2022	OWN/2022-23/P/5	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	719
3	27-07-2022	OWN/2022-23/P/6	बिजली बिल पंचायत घर	821
4	12-08-2022	OWN/2022-23/P/5	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	719
5	29-09-2022	OWN/2022-23/P/8	कार्यालय व्यय	275
6	29-09-2022	OWN/2022-23/P/12	बिजली बिल पंचायत घर	239
7	28-12-2022	OWN/2022-23/P/10	बिजली बिल पंचायत घर	350
8	12-01-2023	OWN/2022-23/P/13	पोटल चार्ज	22
9	12-01-2023	OWN/2022-23/P/14	कार्यालय व्यय	700
10	12-01-2023	OWN/2022-23/P/15	कार्यालय व्यय	1949
11	12-01-2023	OWN/2022-23/P/16	बिजली बिल पंचायत घर	710
12	13-03-2023	OWN/2022-23/P/17	बिजली बिल पंचायत घर	414

13	30-05-2023	OWN/2023-24/P/1	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	1118
14	30-05-2023	OWN/2023-24/P/4	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	1119
15	30-06-2023	OWN/2023-24/P/3	पोटल चार्ज	22
16	29-11-2023	OWN/2023-24/P/6	बिजली बिल पंचायत घर	1371
17	29-11-2023	OWN/2023-24/P/7	पोटल चार्ज	86
18	29-11-2023	OWN/2023-24/P/8	बिजली बिल पंचायत घर	791
19	29-11-2023	OWN/2023-24/P/9	कार्यालय व्यय	300
20	27-12-2023	OWN/2023-24/P/10	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	824
21	17-01-2024	OWN/2023-24/P/11	कार्यालय व्यय	300
22	29-01-2024	OWN/2023-24/P/12	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	449
23	27-02-2024	OWN/2023-24/P/15	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	825
24	27-02-2024	OWN/2023-24/P/16	बिजली बिल पंचायत घर	476
25	12-03-2024	OWN/2023-24/P/17	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	825
26	27-03-2024	OWN/2023-24/P/18	बिजली बिल पंचायत घर	278
27	27-03-2024	OWN/2023-24/P/19	इन्टरनेट बिल पंचायत घर	825
			कुल	17067

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं०: 49 दिनांक 26/07/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टिकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्य :—

9.1 मनरेगा के अन्तर्गत मस्ट्रोल किए गए ₹4.28 लाख के भुगतान बारे:—

हि०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 तथा हि०प्र० पंचायती राज विभाग सामान्य नियम 1997 के नियम 19 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है तथा नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-8** पर दर्ज विवरणानुसार **₹428044** के भुगतान में निम्न वर्णित आपत्तियां दर्ज पाई गई—

- निम्न कार्यो हेतु भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना बिना ही किया गया था।
- इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल भुगतानों की माप पुस्तिका भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस कारण किए गए भुगतानों की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं हो पाई।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं०: 49 दिनांक 26/07/2024 जारी करके सचिव ग्राम पंचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है। अतः अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी ₹0.06 लाख की कटौती न करना:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न **परिशिष्ट-9** अनुसार **₹6303** का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 49 दिनांक 26/07/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः **₹6303** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदनुसार इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करना:-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं०: 49 दिनांक 26/07/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक

भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल-अचल सम्पत्ति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:—

क्र. सं.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	बिल रजिस्टर	13	48
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
7	खाता बही	29	7
8	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	7 (3) एवं 10 (1)
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया रजिस्टर	33	10
हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 49 दिनांक 26/07/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि0प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन भी किया जाना अपेक्षित था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत में स्थाई स्टॉक का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं करवाया गया है जोकि उक्त नियम की अवहेलना है। अतः रजिस्टर प्रस्तुत न करने तथा उक्त नियम की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपति विवरणिका:— लघु आपतियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 निष्कर्ष :— ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों में वर्णित आपतियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

11 6 NOV 2024

क्र.०/प्रति

5420 - 5424

पृष्ठांकन संख्या:— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 88/2024 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09
प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
- 5 सचिव, ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

11 6 NOV 2024

क्र.०/प्रति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2620046

ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, डा0 दाडो देवरिया, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड-173033 की वर्ष 2022-23 व 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
2022-23	4687000.7	4975356.88	133332	9795689.58	5009115.27	4786574.31
2023-24	4786574.31	2940778.25	244438	7971790.56	3044543.35	4927247.21

ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, डा0 दाडो देवरिया, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड-173033 की वर्ष 2022-23 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
सम्मान निधि/ स्वः स्रोत (OWN/ General)	129632.24	663973	21886	815491.24	21223.74	794267.5
13वां वित्त आयोग (13th FC)	182184	0	0	182184	0	182184
14वां वित्त आयोग (14th FC)	1200971	0	47911	1248882	1248882	0
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1297796	1296932	38896	2633624	209196.25	2424427.75
राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	171430	0	0	171430	0	171430
आपदा राहत कोष (CRF)	30190	19563	0	49753	49753	0
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	3431	361000	0	364431	360072	4359
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	218951	60000	5414	284365	206452	77913
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	314421	100000	6519	420940	106347	314593
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	173484	0	2940	176424	176424	0
4 राज्य वित्त आयोग (4SFC)	1186	0	0	1186	0	1186
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	672553.46	194987	0	867540.46	233001.4	634539.06
सेक्टरल डिसेंट्रल्लिजेशन प्लान (SDP)	228065	60000	9766	297831	178862	118969
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	20807	0	0	20807	0	20807
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	10000	0	0	10000	0	10000
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP)	31899	0	0	31899	0	31899
मनरेगा	0	2218901.88	0	2218901.88	2218901.88	0
कुल	4687000.7	4975356.88	133332	9795689.58	5009115.27	4786574.31

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत दाडो-देवरिया

विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, डा0 दाडो देवरिया, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड-173033 की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त व्यय	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
सम्मान निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	794267.5	161908	31662	987837.5	21606.7	966230.8
13वां वित्त आयोग (13th FC)	182184	0	0	182184	0	182184
14वां वित्त आयोग (14th FC)	0	0	0	0	0	0
15वां वित्त आयोग (15th FC)	2424427.75	218565	78615	2721607.75	303886	2417721.75
राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AY)	171430	0	0	171430	0	171430
आपदा राहत कोष (CRF)	0	0	0	0	0	0
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	4359	0	0	4359	0	4359
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	77913	0	2867	80780	45986	34794
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	314593	304330	19169	638092	464340	173752
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	0	0	0	0	0	0
4 राज्य वित्त आयोग (4SFC)	1186	0	0	1186	0	1186
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	634539.06	369503	9775	1013817.06	759962.88	253854.18
सेक्टरल डिसेन्ट्रल्लिजेशन प्लान (SDP)	118969	196000	0	314969	151018	163951
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	20807	0	0	20807	0	20807
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	10000	0	0	10000	0	10000
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP)	31899	0	0	31899	0	31899
मनरेगा	0	1899787.25	0	1899787.25	1899787.25	0
कुल	4786574.31	3150093.25	142088	8078755.56	3646586.83	4432168.73

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत दाडो-देवरिया

विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर (हि.प्र.)

1/ पंचायत दाडो देवरिया, डा0 दाडो देवरिया, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड-173033 दिनांक 31/03/2024 को बैंक व रोकड बही में अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता सं0	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)	अन्तर (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्रोत (OWN/ General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग				
5वां राज्य वित्त आयोग(5th SFC)		56010105014	966230.8		
			253854.18	1410855.16	
13वां वित्त आयोग (13th FC)	Bank Account Closed	कुल	1220084.98	1410855.16	190770.18
14वां वित्त आयोग (14th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग		182184	0	182184
15वां वित्त आयोग (15th FC)	यूको बैंक, नारग	56010108259	0	120	120
राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAV)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	11790110054888	2417721.75	2540329.75	122608
सेक्टरल डिसेन्ट्रल्लिजेशन प्लान (SDP)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010105659	171430	145612	25818
आपदा राहत कोष (CRF)		56010105126	163951		
मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)			0		
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)			4359		
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (LDP)			10000		
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)			31899		
			173752		
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	कुल	383961	384434	473
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010108257	34794	26479	8315
4 राज्य वित्त आयोग (4SFC)	Account Closed	56010108258	0	0	0
			1186	0	1186
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग				0
कुल		56010105379	20807	0	20807
			4432168.73	4507829.91	552281.18



पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत दाडो-देवरिया

विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर (हि.प्र.)

11

ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, डा0 दाडो देवरिया, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश, पिन कोड-173033 दिनांक की 31/03/2024 को बैंक समाधान विवरणी

15 वां वित्त आयोग (15th FC)	
विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	2417721.75
जमा: दिनांक 24/03/2024 को प्राप्त अनुदान जिसक प्रविष्टि रोकड बही में वाउचर सं XVFC/2024-25/R/1 द्वारा दिनांक 30/04/2024 को की गई।	122608
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2540329.75

राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	
विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	171430
घटाव:	
दिनांक 31/07/2020 को श्री रत्नी देवी को किया गया भुगतान जिसे रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया	40000
दिनांक 17/06/2021 को श्री लज्जा देवी को किया गया भुगतान जिसे रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया	2500
जमा:	
ब्याज प्राप्तियां जो रोकड बही में दर्ज नहीं की गई	
दिनांक 30/09/20	2591
दिनांक 31/03/21	2005
दिनांक 01/10/21	2023
दिनांक 01/04/22	2028
दिनांक 30/09/22	2069
दिनांक 01/04/23	1950
दिनांक 30/06/23	988
दिनांक 01/10/23	1006
दिनांक 31/12/23	1013
दिनांक 31/03/23	1009
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	145612

Case 2

ग्राम पंचायत दाडो देवरिया
विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, डा0 दाडो देवरिया, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश, पिन कोड-173033 दिनांक की 31/03/2024 को बैंक समाधान विवरणी

पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	
विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	20807
घटाव:	
दिनांक 24/02/2020 को एस0टी सन्स को किया गया भुगतान जिसे रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया	14000
दिनांक 25/02/2020 को सूद एन्टरप्राइस को किया गया भुगतान जिसे रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया	2010
दिनांक 23/06/20 को किया गया भुगतान जिसे रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया	3714
दिनांक 23/06/20 को किया गया भुगतान जिसे रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया	2669
जमा:	
ब्याज प्राप्तियां जो रोकड बही में दर्ज नहीं की गई	
दिनांक 01/04/19	713
दिनांक 01/10/19	432
दिनांक 31/03/20	376
दिनांक 30/09/20	65
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	0

14वां वित्त आयोग (14th FC)	
विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	0
जमा: दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जो रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया।	120
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	120

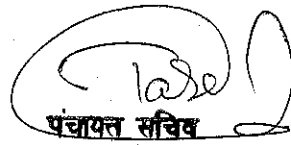
पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत दाडो-देवरिया

विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, डा0 दाडो देवरिया, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड-173033
की योजनाएं जिसका संधारण ऑनलाईन नहीं किया जा रहा है उन योजनाओं में दिनांक 31/03/2024 को अन्तशेष का विवरण

योजना	बैंक	खाता सं०	बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)
BMC ग्राम पंचायत दाडो देवरिया	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010108729	11696
VWSC कमेटी	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010109625	533
जलगाम विकास समिति	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010102445	878255
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नारग	56010107465	214359
	कुल		1104843



पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत दाडो-देवरिया

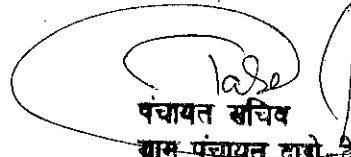
विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत दाडो देवरिया, डा0 दाडो देवरिया, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड-173033

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सूचना-

वर्ष 2022-23 के दौरान परिवारों की सं०- 399
वर्ष 2022-23 के दौरान गृहकर की दर- 50 ₹ /परिवार
वर्ष 2023-24 के दौरान परिवारों की सं०- 409
वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर की दर- 50 ₹ /परिवार

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अन्त शेष (₹)
2022-23	19400	19950	39350	0	39350
2023-24	39350	20450	59800	0	59800



पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दाडो देवरिया
विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत चयनित मासों में मस्ट्रोल भुगतान

परिशिष्ट-8

क्रम संख्या	योजना	कार्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या	भुगतान दिनांक	राशि
1	मनरेगा	C/O FLOOD PROTECTION COMMUNITY COW CENTUARY KOTLA BAROG 02 NOGP DARON	6693	15-03-2023	2544
			6693	15-03-2023	17808
			6693	15-03-2023	2544
			6693	16-03-2023	2544
			6694	15-03-2023	7632
			7089	18-03-2023	2756
			7089	18-03-2023	13780
			7089	18-03-2023	2756
2	मनरेगा	C/O IRRI TANK KHEM SINGH MOHAN 16 NO GP DARON	6638	02-03-2023	4240
3	मनरेगा	C/O IRRI TANK KHEM SINGH MOHAN 15 NO GP DARON	7090	18-03-2023	19292
			7625	30-03-2023	12720
			7625	30-03-2023	2544
3	मनरेगा	C/O IRRI TANK KEARAN SINGH 72 NO GP DARON	7091	18-03-2023	11024
			7091	18-03-2023	2756
4	मनरेगा	C/O L/D SOHAN LAL KATHLA JOHARI GP DARON	6639	02-03-2023	6360
5	मनरेगा	C/O IRRI TANK RAJESH DARON 06 NO GP DARON	5368	06-03-2023	3392
			5816	06-03-2023	848
			6640	02-03-2023	21200
6	मनरेगा	C/O L/D RAMESH KUMAR KOTLA BAROG GP DARON	6640	02-03-2023	6360
			6640	28-03-2023	3180
			7092	18-03-2023	13780
			7092	28-03-2023	2756
7	मनरेगा	C/O L/D DINESH ATTRI MARYOG GP DARON	6641	02-03-2023	6360
8	मनरेगा	C/O CATTLE SHED KAMAL DEV VILL & GP DARON	6642	02-03-2023	15900
9	मनरेगा	C/O PROTECTION WALL RAJINDER SINGH SHAMLOH GP DARON	6644	02-03-2023	9540
			7094	18-03-2023	8268
10	मनरेगा	C/O JOHRI SCHIDA NAND KATARON GP DARON	7095	18-03-2023	13780
11	मनरेगा	C/O CATTLE SHED YASHPAL KOTLA BAROG GP DARON	5820	28-03-2023	3180
12	मनरेगा	C/O L/D DEVENDER SINGH KOTLA BAROG GP DARON	6643	02-03-2023	6360
13	मनरेगा	C/O RWHT/IRRI TANK RAM LAL KOTLA BAROG GP DARON	10409	30/03/2024	13440
14	मनरेगा	C/O CATTLE SHED BALA RAM KATHLA JOHARI GP DARON	9796	12-03-2024	16800
15	मनरेगा	C/O CATTLE SHED PREM DASS ODU CHEWLA BAKANAG GP DARON	7524	30/03/2024	3120
16	मनरेगा	C/O RWHT IRRI TANK BALDEV SINGH KOTLA BAROG GP DARON	10408	30/03/2024	13440
17	मनरेगा	C/O L/D RAMJIT SINGH CHAYAN GP DARON	8352	15/03/2024	1680
18	मनरेगा	C/O CATTLE SHED JAGDEV CHEWLA BAKANAG GP DARON DEVRIYA	9042	02/03/2024	10800
19	मनरेगा	C/O L/D DEV RAJ VILL & GP DARON DEVRIYA	9043	15/03/2024	3600
20	मनरेगा	C/O L/D AJAY KUMAR MARYOG GP DARON	10407	30/03/2024	19920
21	मनरेगा	C/O L/D JAGDISH CHAND KATHLA JOHARI GP DARON	9799	12/03/2024	29040

(75)

25

Tarun Saini

22	मनरेगा	C/O CATTLE SHED VIJAY PAL VILL&GP DARON DEVRIYA	9045	02/03/2024	21600
			9802	12/03/2024	11520
23	मनरेगा	C/O CATTLE SHED SANGITA DEVI W/O MANOJ VILL&GP DARON	9046	02/03/2024	18720
24	मनरेगा	Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. HP154633524	9047	02/03/2024	14400
25	मनरेगा	Construction of PMAY-G House for Individuals -PMAY-G REG. NO. HP154633611	9048	02/03/2024	10800
26	मनरेगा	Expenditure for Financial Year 2022-2023 but paid during 2023-24	7624	01/04/2023	8640
			7624	01/04/2023	2160
			7624	01/04/2023	2160
		कुल			428044

Tabun Saini
 (तरुण सैनी)
 कनिष्ठ लेखा परीक्षक
 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
 अंकेक्षण वृत्त सिरमौर
 कैम्प- G.P Dargah Devriya
 फोन-9736161012

(Signature)

26

1

Signature

आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती													परिशिष्ट-9	
क्र० सं०	योजना	वाउचर सं०/ माह	कार्य का नाम	बिल सं०	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा क्यू०मी	कनवर्जन फैक्टर	मात्रा क्यू०मी	कनवर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	रॉयल्टी दर (₹/ टन)	देय रॉयल्टी (₹)
1	VKVVY	VKVVY/2022-23/P/4 13-03-23	C/o Go Abhyaran Bhusa Bhandar Kotla Barog	327	08-03-2023	M/s Sushant Thakur	Bricks	6000	1	6000		6000	0.05	300
2	SDP	SDP/2022-23/P/4 13-03-23	C/o Mahila Mandal Bhawan Kotla Barog	326	08-03-2023	M/s Sushant Thakur	Bricks	2300	1	2300		2300	0.05	115
							Sand	200	0.028	5.6	1.6	8.96	80	717
3	MPLADS	MPLADS/2022-23/P/5 13-03-23	Addl. Amount Community Shed Kotla Barog	328	08-03-2023	M/s Sushant Thakur	Sand	80	0.028	2.24	1.6	3.584	80	287
							Bajri	40	0.028	1.12	1.46	1.6352	80	131
4	MNREGA		C/o Cattle Shed Het Ram Khaldana GP Daron	1481	03-09-2023	S.T Sons Construction (Regd)	Sand	240	0.028	6.72	1.6	10.752	80	860
5	MNREGA		C/o RWHT/irri. Tank Ram Lal Kotla Barog GP Daron	1391	09-07-2023	S.T Sons Construction (Regd)	Sand	300	0.028	8.4	1.6	13.44	80	1075
6	MNREGA		C/o Cattle Shed Kamal Dev Vull. & GP Daron	1478	02-09-2023	S.T Sons Construction (Regd)	Sand	150	0.028	4.2	1.6	6.72	80	538
7	MNREGA		C/o RWHT/irri. Tank Baldev Singh Kotla Barog GP Daron	1403	11-07-2023	S.T Sons Construction (Regd)	Sand	300	0.028	8.4	1.6	13.44	80	1075
8	MNREGA		C/o Cattle Shed Yashpal Kotla Barog GP Daron	1479	27-07-2023	S.T Sons Construction (Regd)	Sand		0.028	0.028	1.6	0.0448	80	4
9	MNREGA		C/o Protection Wall Rajinder Singh Shamloh GP Daron	1269	01-03-2023	S.T Sons Construction (Regd)	Sand	135	0.028	3.78	1.6	6.048	80	484
							कुल							6303

(तरुण सैनी)

कनिष्ठ लेखा परीक्षक

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अंकेक्षण वृत्त सिरमौर

कैम्प- G.P. Daron Devniga.

फोन-9736161012

27

